मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 29, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना एवं अशोक नगर जिले में वनों की अवैध कटाई होने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान का आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, चंबल संभाग के बीहड़ भूमि के पट्टे निजी कम्पनियों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, राज्य शासन द्वारा शासकीय वाहनों का बीमा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम बिछियन में सशस्त्र डकैतों द्वारा घर में आग लगाने से कई लोगों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) तहसील मिहोना से बन्थरी मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(ख) ग्राम मिहोना लहार एवं दबोह की सड़कों का डामरीकरण किये जाने,
(ग) ग्राम लहार से सेवढ़ा मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(घ) लहार तहसील के नारददेव मंदिर से मगरौल मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(ङ) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन भाण्डेर छतारेपुरा मार्ग से बड़ोखरी मार्ग में सुन्दरपुरा मार्ग जोड़े जाने,
(च) लहार में आई.टी.आई. कालेज विभिन्न ट्रेड एवं स्टॉफ के साथ खोले जाने,
(छ) लहार तहसील के ग्राम बारहेट, थनुपुरा, श्यामपुरा, जमुहॉं, दौहई, चौकी का पुरा, करीला, अजनार, गॉंध, मडोरी, केशवगढ़, बगिया पुरा, मेहरी, जलालपुरा आदि ग्रामों में हैण्डपंप खनन किये जाने,
(ज) लहार तहसील में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किये जाने,
(झ) लहार तहसील के ग्राम फरदुआ की राजस्व भूमि का बन्दोबस्त सही कराये जाने, तथा
(ट) मिहोना तहसील के ग्राम मछण्ड में पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाने, एवं

(2) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

(क) तहसील पिपरिया के ग्राम बनखेड़ी, पिपरिया, सोहागपुर, बावई तथा झिरपा को मिलाकर जिला बनाये जाने,
(ख) पिपरिया में रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण किये जाने,
(ग) पिपरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बनखेड़ी में रिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों/स्टाफ की पदस्थापना किये जाने,
(घ) पिपरिया में आई.टी.आई. केन्द्र खोले जाने, एवं

(3) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के मनगवां विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं. 11 में 150 कि.वी. का ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 12 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय	5. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)		
	(1)	मांग संख्या - 3	पुलिस
2 घन्टे		मांग संख्या - 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
30 मि.		मांग संख्या - 5	जेल
		मांग संख्या - 36	परिवहन.
	(2)	मांग संख्या - 26	संस्कृति
1 घन्टा		मांग संख्या - 32	जनसंपर्क
		मांग संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व.
	(3)	मांग संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
2 घन्टे		मांग संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
30 मि.		मांग संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
		मांग संख्या - 76	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
	(4)	मांग संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
2 घन्टे		मांग संख्या - 44	उच्च शिक्षा
		मांग संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
		मांग संख्या - 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या - 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2009